राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन में 11 फरवरी को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निहारिका सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वाद पूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउंय, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।